प्रथम सूचना रिपोर्ट
(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र. नि. ब्यूरो, उदयपुर थाना सी.पी.एस. ए.सी.बी. जयपुर वर्ष 2022
   प्र.इ.रि.स ......86/22... दिनांक ......11/3/2022......
2. (1) अधिनियम पी.सी.एक्ट 1988 धाराएं 7 पी.सी.एक्ट (संशोधन) 2018
   (2) अधिनियम भा.द.स. – 120 बी
   (3) अन्य अधिनियम एवं धाराएं –
3. (1) रोजनामचा आम रपट संख्या ......226.. समय ......01:15 P.M......
   (2) अपराध के घटने का दिन शुक्रवार दिनांक 14.01.2022 समय 05:00 पी.एम. से 5:50 पीएम के मध्य
   (3) थाने पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 13.01.2022 समय 01:30 पी.एम.
4. सूचना की किस्म लिखित/मौखिक – लिखित
5. घटना स्थल : –
   (1) थाना/यूनिट से दिशा व दूरी– भ्र0नि0 ब्यूरों एसयू उदयपुर से बजानिब उत्तर पूर्व दिशा, लगभग 140 किलोमीटर
   (2) पता – कार्यालय तहसीलदार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ।
   .... बीट संख्या ....
   जरायमदेही संख्या ....
   (3) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
   पुलिस थाना .... जिला ....
6. परिवादी/सूचनाकर्ता –

   परिवादी

   (1) नाम : श्री पारसमल डांगी (जैन)
   (2) पिता का नाम : श्री भंवरलाल उर्फ लालचंद जी
   (3) आयु : 54 वर्ष
   (4) राष्ट्रीयता : भारतीय
   (5) पासपोर्ट संख्या .... जारी होने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
   (6) व्यवसाय : सरकारी नौकरी (अध्यापक)
   (7) पता : सेठ साहब की हवेली, ग्राम गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ़
7. ज्ञात/अज्ञात/ संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टियों सहित :
   1. श्री नरेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री मलखान सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी बासडा पोस्ट सिकंदरा तहसील सिकराय जिला दौसा, हाल नायब तहसीलदार कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.)
   2. श्री बालकृष्ण शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 52 वर्ष निवासी पूर्बिया मोहल्ला ग्राम गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.) (प्राईवेट व्यक्ति)
8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इत्तला देने में विलम्ब का कारण –
9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टता (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

क्रम. सं.	सम्पत्ति का प्रकार	अनुमानित मूल्य	वस्तु स्थिति
1.	भारतीय चलन मुद्रा	2,00,000 रूपये	

आरोपीगण श्री नरेश कुमार गुर्जर पुत्र श्री मलखान सिंह उम्र 32 वर्ष निवासी बासडा पोस्ट सिकंदरा तहसील सिकराय जिला दौसा, हाल नायब तहसीलदार कार्यव्यवस्थार्थ तहसीलदार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.) एवं श्री बालकृष्ण शर्मा पुत्र श्री मांगीलाल उम्र 52 वर्ष निवासी पूर्बिया मोहल्ला ग्राम गंगरार तहसील गंगरार जिला चित्तौडगढ (राज.) प्राईवेट व्यक्ति (दलाल सरपंच पति) द्वारा आपसी षडयंत्र रचकर अपने पद एवं अधिकारों का दुरूपयोग कर परिवादी श्री पारसमल डांगी से उसके निर्माणाधीन दुकानों एवं आवासीय भवन के निर्माण को नहीं रोकने की एवज में अवैध पारितोषण के रूप में प्रत्येक दूकान के 75,000

रूपये के हिसाब से दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण के मार्फत रिश्वत राशि मांग की। जिस पर परिवादी द्वारा हाथा जोडी करने पर उन्होने 7,00,000 रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करने की स्वीकृति देने के पश्चात आरोपीगणो को ट्रेप कार्यवाही की भनक लगने से परिवादी से अपनी मांग के अनुरूप रिश्वत राशी ग्रहण नहीं की गयी।

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य 2,00,000 रू रिश्वत राशि

11. पंचनामा/यू. डी. केस संख्या (अगर हो तो)

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगावे)

महादेय,

निवेदन है कि दिनांक 13.01.2022 को जरिये टेलीफोन श्रीमान् उमेश ओझा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर ने मन् पुलिस निरीक्षक को भ्र.नि. ब्यूरों (एस.यू) उदयपुर से चौकी भ्र0नि0 ब्यूरो पर तलब किया। जिस पर मन् पुलिस निरीक्षक भ्र.नि. ब्यूरों (एस.यू) उदयपुर से रवाना होकर समय करीब 1.30 पी.एम. पर ब्यूरों चौकी कार्यालय पर पहुँच श्रीमान् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री उमेश ओझा के कक्ष में पहुचा। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने मुझे श्री पारसमल डांगी निवासी गंगरार जिला चित्तौडगढ के मोबाईल नम्बर 94139-77561 दिये तथा श्री पारसमल डांगी से सम्पर्क कर अग्रिम कार्यवाही के लिये निर्देशित किया गया तथा बताया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों स्पेशल यूनिट उदयपुर पर समस्त कर्मचारी कोविड-19 पोजीटिव होने से भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरों चौकी उदयपुर की टीम के सहयोग से कार्यवाही करें। जिस पर समय करीब 2.00 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय ब्यूरो का डिजीटल टेप रिकॉर्डर एवं ब्यूरों चौकी उदयपुर कार्यालय के कानि. श्री सुरेश कुमार को हमराह मय सरकारी वाहन के ब्यूरों कार्यालय से चित्तौडगढ की ओर रवाना होकर परिवादी श्री पारसमल से जरिये फोन सम्पर्क किया तो उसने बताया कि वह टोल टैक्स गंगरार से आगे हमीरगढ़ पुलिया के नीचे मिलेगा। इस पर परिवादी के बताये गये उक्त स्थान पर पहुंचने पर दो व्यक्ति उपस्थित मिले जिन्हें मन् पुलिस निरीक्षक ने अपना परिचय देते हुए उनसे उनका परिचय पूछा तो उनमें से एक व्यक्ति ने अपना परिचय पारसमल डांगी के रूप में तथा दूसरे व्यक्ति का परिचय पारसमल डांगी ने अपने पुत्र तिलक डांगी के रूप में परिचय करवाया। परिवादी श्री पारसमल डांगी ने पुछताछ पर बताया कि ''मैं पारसमल निवासी गंगरार जिला चित्तौडगढ़ का रहने वाला होकर पेशे से सरकारी अध्यापक हूँ। मेरे को स्वर्गीय श्री भंवरलाल एवं उनकी पत्नी श्रीमती शकुन्तला देवी ने वर्ष 1995 में आपसी सहमति एवं सामाजिक रीति रिवाज से गोद लिया था। मेरी माता जीं श्रीमती शकुन्तला देवी ने अपनी सारी चल अचल सम्पति मेरी पत्नी श्रीमती निशा देवी के नाम वसियत की जिसे उपपंजीयक (तहसीलदार) गंगरार श्री नरेश कुमार द्वारा वसियत नहीं करनें पर जिला कलक्टर चित्तौडगढ के समक्ष अपील करनें पर उक्त अपील को विड्रो करनें तथा मेरे द्वारा ग्राम गंगरार में निर्माणाधीन 11 दूकाने एवं आवासीय मकान को नहीं रोकनें की एवज में सरपंच पति दलाल सरपंच पति श्री बालकृष्ण शर्मा के मार्फत रिश्वत राशि की मांग की जा रही है''। जिस पर परिवादी को संदिग्ध अधिकारियों से नियमानुसार रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता करनें हेतु बताया तो परिवादी श्री पारसमल डांगी ने बताया कि ''आज तहसीलदार साहब बाहर है उनसे बात नहीं हो सकती है''। जिस पर परिवादी को रिश्वत मांग करनें वाले अधिकारी तहसीलदार के उपस्थित आने पर दिनांक 14.01.2022 को मांग सत्यापन वार्ता कर ब्यूरों के टेप रिकार्डर में रिकार्ड करनें की आवश्यकता तथा इस बाबत् गोपनीयता की हिदायत दी गई। परिवादी ने बताया कि दिनांक 14.01.2022 की सायकाल को मैं विवेकानन्द मॉडल स्कूल गंगरार के पास में आपसे मिलुंगा। जिस पर परिवादी एवं उसके पुत्र को आवश्यक हिदायत देकर रूकसत कर समय करीब 5.30 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय हमराहीयान एवं वाहन से मौके से रवाना हो ब्यूरों कार्यालय उदयपुर पर उपस्थित हुआ तथा हालात उच्चाधिकारियों को निवेदन किये। दिनांक 14.01.2022 को समय करीब 2.45 पी.एम. पर मन् पुलिस निरीक्षक मय श्री सुरेश कानि. मय डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय सरकारी वाहन के गंगरार जिला चित्तौडगढ की ओर रवाना होकर समय करीब 05:00 पीएम पर विवेकानन्द मॉडल स्कूल गंगरार जिला चित्तौडगढ पर